

.SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.633.....of 2022 Complaint or report made
on 24/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/भागीरथी पिता केजुराम, उम्र-21 साल, 02/संतु पिता तिरथराम निषाद, उम्र-22
साल, 03/क्षमा पिता कन्हैया साहू, उम्र-22 साल, 04/भोजु निषाद पिता तिरथ, उम्र-22
साल, 05/सुरेश निषाद पिता हृदय, उम्र-29 साल, 06/तारन यादव पिता डोमरू, उम्र-22
साल, 07/टीकम पिता दाता राम साहू, उम्र-22 साल सभी साकिनान-चीजगांव,
थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 23.10.2022 को समय करीबन
00:15 बजे, स्थान ग्राम-चीजगांव गौठान के पास, बिजली लाईट के नीचे चौक क्षेत्रांतर्गत
थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का
जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत
दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-24.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....24 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100 /—रुपये (अक्षरी—एक—एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक—एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1470 /—** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-24.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.632.....of 2022 Complaint or report made
on 23/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/जोहन निषाद पिता जैता, उम्र-26 साल, 02/राजूलाल साहू पिता संतराम, उम्र-30
साल, 03/दुर्गेश साहू पिता विश्राम, उम्र-19 साल, 04/पन्नालाल साहू पिता राजूराम,
उम्र-35 साल, 05/गुमान साहू पिता विसम्भर, उम्र-34 साल, 06/राकेश साहू पिता पीलाराम,
उम्र-25 साल, सभी साकिनान-सोनचिरैया, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 25.10.2022 को समय करीबन
03:00 बजे, स्थान ग्राम-सोनचिरैया, महामाया मंदिर के पास चौक क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया,
आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया
और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

.....
.....

साजा,
दिनांक-23.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::-निर्णय:-::

(आज दिनांक को.....23 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1320 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-23.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.631.....of 2022 Complaint or report made
on 23/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/दिलीप साहू पिता पीतांबर, उम्र-29 साल, 02/राजकुमार सिन्हा पिता रूपसिंह,
उम्र-27 साल, 03/मुकेश धुर्वे पिता भीम धुर्वे, उम्र-19 साल, 04/अंकित ताम्रकार पिता
मनोज, उम्र-25 साल, 05/अमन वर्मा पिता बिसाहू, उम्र-25 साल, सभी साकिनान-सैगोना,
थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 24.10.2022 को समय करीबन
23:45 बजे, स्थान ग्राम-सैगोना बाजार चौक क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश
पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर
आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-23.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::-निर्णय:-::

(आज दिनांक को.....23 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1320 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-23.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.630.....of 2022 Complaint or report made
on 23/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/रूपेश यादव पिता गौकरण यादव उम्र-22 साल, 02/राजू निषाद पिता हगनू,
उम्र-30 साल, 03/भुनेश्वर राजपूत पिता बलराम, उम्र-26 साल, 04/खुलेश्वर निषाद पिता
शिवकुमार, उम्र-20 साल, 05/केशो पिता मिलन निषाद, उम्र-40 साल, सभी
साकिनान-गाड़ाघाट, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 23.10.2022 को समय करीबन
23:10 बजे, स्थान ग्राम-गाड़ाघाट गौठान के पास, बिजली पोल के नीचे क्षेत्रांतर्गत
थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का
जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत
दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-23.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....23 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि 2290/- रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-23.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.629.....of 2022 Complaint or report made
on 22/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/संतराम साहू पिता नंदूराम, उम्र-38 साल, 02/शिवनंदन लोधी पिता गिरधर,
उम्र-32 साल, 03/ईश्वर पिता रामचंद, उम्र-33 साल, 04/रवि साहू पिता रामरतन साहू,
उम्र-22 साल, 05/कुलेश्वर साहू पिता कृष्णा साहू, उम्र-28 साल, 06/संजय पटेल पिता
भागीरथी पटेल, उम्र-38 साल, सभी साकिनान-पतौरा, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा
(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 23.10.2022 को समय करीबन
22:10 बजे, स्थान ग्राम-पतौरा बस्ती चौक क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश
पत्ती के द्वारा रुपये पैसों का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर
आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

.....
.....

साजा,
दिनांक-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....22 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100 /—रुपये (अक्षरी—एक—एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक—एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1980 /—** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:—22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.628.....of 2022 Complaint or report made
on 22/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/गोपी साहू पिता रामरतन साहू, उम्र-19 साल, 02/भानुराम साहू पिता रामदीन साहू, उम्र-30 साल, 03/सुदामा श्रीवास पिता शंकर श्रीवास, उम्र-45 साल, 04/शिवनंदन वर्मा पिता गिरधर लोधी, उम्र-32 साल, सभी साकिनान-पतौरा, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 25.10.2022 को समय करीबन 02:30 बजे, स्थान ग्राम-पतौरा बस्ती चौक क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::-निर्णय:-::

(आज दिनांक को.....22 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रूपये (अक्षरी-एक-एक सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1370 /-** रूपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.627.....of 2022 Complaint or report made
on 22/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/राजेश पटेल पिता अवध, उम्र-27 साल, 02/पप्पू निषाद उर्फ विजय पिता
भागीरथी, उम्र-34 साल, 03/पुरन ठाकुर पिता रघु ठाकुर, उम्र-21 साल, तीनों
साकिनान-हथमुड़ी, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 24.10.2022 को समय करीबन
22:30 बजे, स्थान ग्राम-हथमुड़ी क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा
रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक
द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....22 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **320 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.626.....of 2022 Complaint or report made
on 22/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/विजय कुमार रात्रे पिता राधे रात्रे, उम्र-34 साल, 02/प्रकाश चंद्राकर पिता पुनाराम,
उम्र-34 साल, 03/हनुमान चंद्राकर पिता केजु, उम्र-29 साल, 04/राधेश्याम चंद्राकर पिता
केजु, उम्र-32 साल सभी साकिनान-कुरुद, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 22.10.2022 को समय करीबन
10:25 बजे, स्थान ग्राम-कुरुद मेन रोड के किनारे, बिजली खम्भा के नीचे क्षेत्रांतर्गत
थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का
जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत
दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::-निर्णय:-::

(आज दिनांक को.....22 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **3070 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.625.....of 2022 Complaint or report made
on 22/11/2022.....Name and address of the
complainant.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/गोपीराम पिता सुखीलाल, उम्र-26 साल, 02/चेतन नारंग पिता रोहित नारंग,
उम्र-26 साल, 03/डाकवर लोधी पिता बिसौहा लोधी, उम्र-34 साल, 04/लुकेश्वर साहू पिता
बराती साहू, उम्र-21 साल सभी साकिनान-बनराका, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 21.10.2022 को समय करीबन
22:30 बजे, स्थान ग्राम-बनराका तालाब पार के पास क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह
में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा
कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....22 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1590 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.624.....of 2022 Complaint or report made
on 22/11/2022.....Name and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/बराती साहू पिता सुकालू साहू, उम्र-29 साल, 02/छबी कश्यप पिता रामाधार कश्यप, उम्र-28 साल, 03/अलखराम पटेल पिता बहलराम, उम्र-35 साल, 04/देवी लाल साहू पिता सुकालू, उम्र-38 साल सभी साकिनान-बनराका, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 22.10.2022 को समय करीबन 23:05 बजे, स्थान ग्राम-बनराका तालाब पार के पास क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::-निर्णय:-::

(आज दिनांक को.....22 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1430 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-22.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE| 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.553.....of 2022 Complaint or report made
onName and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/नारायण साहू पिता मंदरू साहू उम्र-28 साल, 02/टीकेंद्र ठाकुर पिता नीलकंठ,
उम्र-32 साल, 03/किशन साहू पिता आदेश साहू उम्र-20 साल, 04/गोकूल साहू पिता
खेमलाल साहू उम्र-19 साल, 05/उमेश साहू पिता सेवाराम साहू उम्र-23 साल सभी
साकिनान-ढेलका, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 22.10.2022 को समय करीबन
23:05 बजे, स्थान ग्राम-ढेलका तालाब के पास बिजली लाईट के नीचे क्षेत्रांतर्गत
थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का
जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत
दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-10.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....10 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि 800/- रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-10.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.552.....of 2022 Complaint or report made
onName and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/डेविड साहू पिता लक्ष्मीकांत साहू, उम्र-23 साल, 02/शुभम साहू पिता डोमार साहू,
उम्र-25 साल, 03/सागर साहू पिता गंगदेव साहू, उम्र-23 साल, 04/खुमान साहू पिता
नेतराम साहू, उम्र-20 साल, सभी साकिनान-ठेलका, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.
ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 22.10.2022 को समय करीबन
22:45 बजे, स्थान ग्राम-ठेलका तालाब के पास बिजली लाईट के नीचे क्षेत्रांतर्गत
थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का
जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत
दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-10.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....10/11/2022.....को घोषित)

01/ अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02/ अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

03/ अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04/ प्रकरण में जप्तशुदा राशि **740/-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-10.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.551.....of 2022 Complaint or report made
onName and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/मंगलदास पिता खेदुदास, उम्र-26 साल, 02/रूपचंद साहू पिता कृष्णा साहू,
उम्र-30 साल, 03/गोविंद कुमार पिता अयोध्या साहू, उम्र-27 साल, 04/जयसिंह पिता
हरिराम, उम्र-24 साल, 05/रोहित साहू पिता परदेशी साहू, उम्र-30 साल, 06/टिकेश्वर
यादव पिता लेखराम यादव, उम्र-26 साल, सभी साकिनान-बेलतरा, थाना-थानखम्हरिया,
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 23.10.2022 को समय करीबन
22:05 बजे, स्थान ग्राम-बेलतरा, मंदिर के पास, बिजली लाईट के नीचे क्षेत्रांतर्गत
थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का
जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत
दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

.....
.....

साजा,
दिनांक-10.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....10 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100 /—रुपये (अक्षरी—एक—एक सौ रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक—एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि 3030 /— रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:—10.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.544.....of 2022 Complaint or report made
onName and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/जितेन्द्र सिन्हा पिता भरतलाल सिन्हा उम्र-42 साल, 02/प्रदीप सिन्हा पिता महावीर सिन्हा, उम्र-34 साल, 03/चन्द्रभान चन्द्रकार पिता लखन, उम्र-40 साल, ग्राम-सुखाताल, चौकी-खण्डसरा, थाना-बेमेतरा, जिला-बेमेतरा(छ.ग.) 04/कामेश्वर वर्मा पिता लोभन वर्मा, उम्र-37 साल, ग्राम-सैगोना, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 07.11.2022 को समय करीबन 20:00 बजे, स्थान ग्राम-सैगोना, धुरसिंह वर्मा के केला बाड़ी के सामने क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-09.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....09 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100 /—रुपये (अक्षरी—एक—एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक—एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि 12060 /— रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:—09.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.513.....of 2022 Complaint or report made
onName and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01 / विष्णु साहू पिता धनराज, उम्र-45 साल, 02 / कन्हैया यादव पिता राजाराम, उम्र-29
साल, 03 / संतोष साहू पिता तीरिथ, उम्र-47 साल,
साकिनान-जेवरा, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 21.10.2022 को समय करीबन 20:20 बजे, स्थान ग्राम-जेवरा, गणेश मंच के पास क्षेत्रांतर्गत थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला / खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-04.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....04 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1060 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-04.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.505.....of 2022 Complaint or report made
onName and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम-01/भुनेश्वर वर्मा पिता कन्हैया, उम्र-35 साल, 02/दुर्गेश पिता गणेश नेताम, उम्र-19
साल, 03/रामेश्वर पिता दादूराम साहू, उम्र-22 साल, साकिनान-पतौरा, थाना-थानखम्हरिया,
जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 16.10.2022 को समय करीबन
19:10 बजे, स्थान ग्राम-पतौरा, दैहान के पास बिजली खंभा के नीचे क्षेत्रांतर्गत
थाना-थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का
जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत
दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा-13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक-03.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of
section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::-निर्णय:-::

(आज दिनांक को.....03 / 11 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1200 /-** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-03.11.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 21.02.2022 को समय करीबन 18:00 बजे, स्थान ग्राम—डंगनिया, आंगनबाड़ी के सामने क्षेत्रांतर्गत थाना—थानखम्हरिया, आम जगह में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा—13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा—13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक—24.02.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....24/02/2022.....को घोषित)

01/ अभियुक्त/गण पर धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02/ अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा-13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100-100/-रुपये (अक्षरी-एक-एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03/ अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक-एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04/ प्रकरण में जप्तशुदा राशि 1930/- रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:-24.02.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला-बेमेतरा(छ.ग.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE] 1889

In the Court of श्रीमती अंकिता मुदलियार Magistrate प्रथम श्रेणी
Class.....2.....Case No.57.....of 2022 Complaint or report made
onName and address of the
complaint.....P.S. THANKHAMHARIYA.....

Name, parentage, caste and address of accused

नाम— 01/बीर सिंह पटेल पिता तिलक, उम्र—63 साल, 02/बलदाउ पटेल पिता मानसिंह,
उम्र—55 साल, 03/दीनबंधु पटेल पिता बलदाउ, उम्र—41 साल, 04/प्रकाश पटेल पिता साधु,
उम्र—32 साल, 05/डाकवर पटेल पिता बलदाउ, उम्र—37 साल, 06/छेदु सेन पिता कुल सिंह,
साकिनान—डंगनिया, थाना—थानखम्हरिया, जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

The offence complained of and date of its alleged commission

आपके विरुद्ध यह अभियोग है कि, आपने दिनांक 21.02.2022 को समय करीबन
18:00 बजे, स्थान ग्राम—डंगनिया, आंगनबाड़ी के सामने क्षेत्रांतर्गत थाना—थानखम्हरिया, आम जगह
में ताश पत्ती के द्वारा रुपये पैसे का दाव लगाकर हारजीत का जुआ खेला/खिलाया और ऐसा
कर आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा—13 के तहत दंडनीय अपराध किया।

इस प्रकार आपने वह अपराध कारित किया है जो कि, धारा—13 सार्वजनिक द्युत
अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

आपको जुर्म स्वीकार है या अस्वीकार है?

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

साजा,
दिनांक—24.02.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

The offence proved, if and in e.u. Under clause, (d), clause (f), or clause (g), of sub section (I) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

::—निर्णय—::

(आज दिनांक को.....24 / 02 / 2022.....को घोषित)

01 / अभियुक्त/गण पर धारा—13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/गण ने स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया। अतः अभियुक्त/गण को धारा—13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम अंतर्गत दोषी पाया गया।

02 / अभियुक्त/गण का यह प्रथम अपराध है अतः प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त/गण की स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति को देखते हुये अभियुक्त/गण को धारा—13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध के लिये 100—100 /—रुपये (अक्षरी—एक—एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

03 / अर्थदंड के व्यतिक्रम पर प्रत्येक अभियुक्त/गण को एक—एक माह का कठोर कारावास की सजा भुगताया जावे।

04 / प्रकरण में जप्तशुदा राशि **1930 /—** रुपये राज्य के पक्ष में राजसात किया जावे तथा अन्य संपत्ति 52 पत्ती तास, तुच्छ मूल्य की वस्तु होने के कारण नष्ट की जावे।

साजा,
दिनांक:—24.02.2022

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साजा जिला—बेमेतरा(छ.ग.)

01/भागीरथी पिता केजुराम, उम्र-21 साल, 02/संतु पिता तिरथराम निषाद, उम्र-22 साल, 03/क्षमा पिता कन्हैया साहू, उम्र-22 साल, 04/भोजु निषाद पिता तिरिथ, उम्र-22 साल, 05/सुरेश निषाद पिता हृदय, उम्र-29 साल, 06/तारन यादव पिता डोमरू, उम्र-22 साल, 07/टीकम पिता दाता राम साहू, उम्र-22 साल सभी साकिनान-चीजगांव, थाना-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा(छ.ग.)